



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
एयरपोर्ट बायपास रोड,  
गांधी नगर भोपाल 462036

Ph.no.0755-2678899  
fax 0755-2742006  
Website: www.rgvtu.net

क.एफ-2/कु.स./2009/ 3259

भोपाल, दिनांक १५ अक्टूबर, 2009

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,  
रागांप्रौद्योगिकी से सम्बद्ध समस्त / आभियांत्रिकीय  
फार्मर्सी/ एम.सी.ए./आकेट्क्चर/ पोलीटेक्निक महाविद्यालय  
मध्यप्रदेश।

विषय:- रैगिंग निषेध संबंधी प्रभावी कार्यवाही करने वाले।

नहोटय,

माननीय उच्चतम व्यायालय के निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोज के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्यतः कार्यवाही सुनिश्चित की जावे कि यदि आपके महाविद्यालय के किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्घटनाएँ, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त कर्म्मना, जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना, जो वह सामान्य स्थिति भौं करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, अथवा घबराहट हो, जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करने की सूचना प्राप्त होने पर उस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्णानुमान कर नियारण करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् पालन कराये जाने का प्रबंध करें तथा अन्यार्थी का शपथ प्रमाण पत्र संलग्न क्रमांक (1) के अनुसार भरने के उपरान्त कुलाधिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को शीघ्र प्रेषित करें।

शैक्षणिक संस्थाओं में स्वस्थ वातावरण एवं शिक्षा को गुणात्मक सुधार हेतु विश्वविद्यालय कृत संकल्प है एवं इस हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है।

(Dr. A. K. S. Bhadoria)  
Registrar,  
Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya  
कुलसाली, भोपाल

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
एयर पोर्ट, बायपास रोड, गांधी नगर,  
भोपाल - 462033

दूरभाष क. (0755) - 2734913  
फैक्स क. (0755) - 2742006

कमांक / एफ-3 / प्रशा / 2011/4156 / भोपाल, दिनांक ०१/११/2011  
प्रति,

प्राचार्य / संचालक,  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से  
संबद्ध समरत अभियांत्रिकीय / फार्मसी / एम.सी.ए /  
आर्किटेक्चर सरथाएँ  
(पोलीटेक्निक महाविद्यालय सहित)  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- संस्थाओं में रेगिंग की रोकथाम हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय  
एवं भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत विश्वविद्यालय की एटी  
रेगिंग कमेटी में नामांकन ।

संदर्भ :- (1) विश्वविद्यालय का पत्र कमांक / रागांप्रौद्योगिकी / अधिष्ठाता छात्र  
कल्याण / 2011 / 2759, दिनांक 8.07.2011 ।

(2) विश्वविद्यालय का पत्र कमांक / एफ-3 / प्रशा / 2011 / 3305  
दिनांक 17.08.2011 ।

महोदय,


उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया विश्वविद्यालय के संदर्भित पत्रों का  
अवलोकन करें। आपके सुलभ संदर्भ हेतु पत्रों की छायाप्रतियाँ एतदसह संलग्न  
हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्,  
भारत सरकार के निर्देशों के पालन में महाविद्यालयों में रेगिंग प्रवृत्ति को रोकने  
एवं अवाछनीय गतिविधियों की पूर्णतः रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश  
स्तर पर एक उच्च रत्नीय एंटी रेगिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस  
संबंध में आपकी संख्या द्वारा आज दिनांक तक समिति के गठन के सम्बन्ध में  
विश्वविद्यालय को अवगत नहीं कराया गया है।

//2//

11211

कृपया संलग्न संदर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार रादर्यों का नामांकन कर रादर्यों के नाम पते एवं दूरभाष कगांक की जानकारी राहित अविलंब विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का काट करें। साथ ही निवेदन है कि रैगिं जैरी कुप्रथा को रोकने हेतु उचित एवं कारगर कदम उठाए जायें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना की रिथ्ति निर्मित न हो सके। इस संबंध में आपके द्वारा किये गये प्रयारों रो विश्वविद्यालय को अविलंब अवगत करायें।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित



कुलसचिव,


राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

भोपाल

पृष्ठमांक/एफ-3/प्रशा/2011/4157/भोपाल, दिनांक ७१/११/2011

प्रतिलिपि:

01. माननीय कुलपति महोदय के स्टाफ अफिसर, राठगांव प्रौद्योगिकी भोपाल
02. संचालक, यूआईटी, राठगांव प्रौद्योगिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
03. अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रकोष्ठ, राठगांव प्रौद्योगिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. सिस्टम एनालिस्ट, आईटी सेंटर की ओर उपरोक्त पत्र को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु अग्रेषित।



कुलसचिव,

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

भोपाल

